वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 10/-

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक 13-14 सितम्बर-अक्टूबर 2011

भारतीय सिविल सेवा - 2010 में सफल हुए बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों का वाराणसी में भव्य अभिनंदन समारोह एवं सेमिनार

मंचासीन बाएं से श्री जी. करुणानिधि, महासचिव : फेडरेशन, प्रो. एस.एस. कुशवाहा, भूतपूर्व कुलपति, डा. एन. रामाचन्द्रन, कुलपति, श्री एस.के. कारवेन्दन, सदस्य : रा.पि.वि. आयोग, डा. के. वीरामणि अध्यक्ष : द्रविण कजगम, श्री रवीन्द्र, जिलाधिकारी वाराणसी, श्री पी.के. बंसल, महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रो. चौथीराम यादव, प्रसिद्ध समीक्षक, डॉ. बाबूराम निषाद, भूतपूर्व अध्यक्ष : भारतीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, भारत सरकार।

7 अगस्त

सामाजिक न्याय दिवस के रुप में स्थापित। पूरे देश में कई समारोह आयोजित। सन् 1990 में 7 अगस्त को भारतीय संसद में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने 27% आरक्षण की घोषणा की।

चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली एवं वाराणसी में भी फेडरेशन द्वारा UPSC-10 के सफल ओबीसी छात्रों का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित।

डा. के. वीरामणि, अध्यक्ष : द्रविण कजगम

एस.के. कारवेन्दन, सदस्य : रा.पि. वर्ग आयोग

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह वाराणसी में आयोजित

वाराणसी/सम्मान सहारोह के उद्घाटन सत्र में पेरियार ई0 वी0 रामासामी के तमिल भाषा में उनके दिए गए संबोधन का पहली बार 61 वर्षों बाद अग्रेजी भाषा में रुपान्तरित पुस्तक **WHY THE RIGHT FOR CUMMUNAL RESERVATION ?** का विमोचन प्रसिद्ध साहित्यकार एवं समीक्षक **डा0 चौथी राम यादव** द्वारा किया गया।

पेरियार द्वारा दिए गए इस भाषण और आंदोलन के पश्चात भारतीय संविधान में संशोधन आर्टिकल 15(4) का समावेश किया गया जिससे **OBC, SC & ST** को शिक्षा में आरक्षण अधिकार मिल पाया।

प्रो. चौथीराम यादव

प्रो. एस.एस. कुशवाहा

श्री रविन्द्र, IAS

श्री पी. के. बंसल

डॉ. बाबूराम निषाद

श्री जी. करुणानिधि

श्री अमृतांशु

श्री रविन्द्र राम

श्री अशोक आनंद

श्री अशोक कुमार

वाराणसी/7 अगस्त 2011/सिविल सेवा परीक्षा 2010 में सफल हुए छात्रों के लिए फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज ईम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने इसे न केवल ऐतिहासिक बताया बल्कि ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों के बीच सामाजिक न्याय जैसे बिन्दुओं पर चर्चा की और 85 प्रतिशत दलितों पिछड़ो और अल्पसंख्यकों के वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला एवं इस क्षेत्र में कार्य करने को प्रेरित किया। 7 अगस्त को सामाजिक न्याय दिवस के रुप में मनाकर फेडरेशन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वी0पी0सिंह के प्रति श्रद्धाजंति अर्पित किया। आज ही के दिन 1990 में पिछड़ों को नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित हुआ।

श्री अतुल कुमार का सम्मान करते श्री करुणानिधि, राष्ट्रीय अध्यक्ष

श्री संतोष कुमार सिंह का सम्मान करते बाएँ से श्रीमती रानी अमृतांशु एवं श्रीमती सरिता मौर्य

श्री विक्रांत वीर का सम्मान करती श्रीमती सनिता निरंजन

श्री ऋषिरेन्द्र कुमार का सम्मान करते डॉ. रामाचन्द्रन

श्री रविकांत यादव का सम्मान करते श्री अंजू बाला

श्री दीपेन्द्र कुमार का सम्मान करती श्रीमती गीता रानी

श्री आर.पी. मौर्य का सम्मान करते बाएं से श्रीमती शोभना प्रधान, श्री रवीन्द्र, IAS एवं आर.के .वर्मा

सुश्री पूनम चौहान, फुटबाल खिलाड़ी का सम्मान करती श्रीमती अंजुरानी

श्री राहुल कुमार के लिए मिमेन्टो स्वीकार करती श्रीमती स्मिता जायसवाल

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 13-14 सितम्बर-अक्टूबर 2011

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

परामर्श
जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

प्रकाशक
रानी अमृतांशु

संपादक
अशोक आनंद
9415224153

मानद संपादक
अमृतांशु
9415392194

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुमार
9453359701
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
नवीन कुमार यादव
9305310507

प्रबंधक
अरविन्द कुमार

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, दिलीप प्रसाद मेवा लाल यादव

पत्राचार
ई-मेल : aiobc.up@gmail.com
द्वारा- **होटल सुरभि इण्टरनेशनल**
पहड़िया, वाराणसी-221007

सहयोग राशि : 10 रुपये

डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक "Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, वाराणसी। मो.: 9415623047

आओ हम नजरअंदाज करें...

मित्रों,

कतिपय कारणों से वॉइस ऑफ ओबीसी का यह अंक आपके हाथों में काफी विलम्ब से पहुंचा है। संपादन मंडल की व्यस्तता भी उन कई वजहों में एक है।

2011 के नवम्बर महीने में यह सोचते हुए कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस वर्ष को एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है, हमने कई आकलन किए। किंतु अनुमान के मुताबिक अभी तक जाति आधारित जनगणना का कार्य आरम्भ नहीं हो सका। यदि यह योजना एवं घोषणा के मुताबिक सितम्बर के प्रथम सप्ताह में शुरु होता तब सन् 1930 के बाद होने वाली इस जाति आधारित जनगणना को सम्पन्न कराने का श्रेय यूपीए सरकार को जाता जो 62 प्रतिशत जनसंख्या का दावा करने वाले बहुसंख्यक ओबीसी समाज की लम्बित मांगें मानने जैसा होता और इसका भी फायदा यूपीए सरकार को कालांतर में अवश्य मिलता।

केन्द्र सरकार की पूर्व घोषणा के अनुरुप जाति जनगणता का कार्य जून 2011 के बीच करा लेने का था। लेकिन जाति जनगणना को लेकर कोई गम्भीर बयान केन्द्र सरकार से अब तक सामने नहीं आए है। इसे केन्द्र सरकार का जाति जनगणना को भरसक टालने की दिशा में लिया जा सकता है।

सनद रहे कि जाति जनगणना को लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों के बीच काफी बहसें हुई, सेमिनार आयोजित हुए, छोट शहरों से लेकर बड़े शहरों में संगोष्ठियां आयोजित की गई जिसके माध्यम से जातियों की गणना की जरुरत पर ठोस विचार आएं। यहां हमें इस पर विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है।

पिछले दिनों 18 अगस्त 2011 को उच्चतम न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के दाखिले में आरक्षण पर आया है। इसे थोड़ा विस्तार से समझने की आवश्यकता है। मसला यह था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के दाखिले में आरक्षण के प्रावधान के तहत ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन साथ ही साथ ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सामान्य वर्ग के छात्रों के कट ऑफ मार्क्स से 10 प्रतिशत कम पर आधारित थे। साथ ही यह भी प्रावधान था कि उपरोक्त मानदण्डों को पूरा न कर पाने के बाद ओबीसी की रिक्त सीटें सामान्य वर्ग को स्थानान्तरित कर दी जाएगी।

नतीजा यह था कि प्रत्येक वर्ष कट ऑफ मार्क्स पूरे न कर पाने के कारण ओबीसी की सीटें सामान्य वर्ग के खाते में चली जाती रहीं। पिछले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 महाविद्यालयों में से 31 महाविद्यालयों में कुल 7420 ओबीसी की सीटें थी जिनमें से केवल 3396 सीटें ही भर पाई थी शेष 4024 सीटें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए पुनः निर्धारित कर दी गई। सामान्य वर्ग में कुल सीटें 11957 थी जो रिक्त सीटों के जुड़ने के बाद 16692 हो गई।

इस पूरे प्रकरण को सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े संगठनों एवं कार्यकर्ताओं ने मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा। उच्च न्यायालय दिल्ली ने मामले पर सनवाई करते हुए ओबीसी छात्रों के लिए 10 प्रतिशत की छूट सामान्य वर्ग की पात्रता (प्रतिशत अंक) से निर्धारित करने के आदेश जारी किए। अर्थात यह 10 प्रतिशत की छूट कट ऑफ मार्क्स से नहीं होगी। (कटऑफ मार्क्स यानी सामान्य वर्ग के छात्रों में दाखिल हुए आखिरी छात्र का प्रतिशत अंक।

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ श्री इन्द्रसेन, जो आई0आई0टी0 मद्रास के पूर्व निदेशक हैं, ने उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई। कई राउण्ड सुनवाई होने के उपरांत अंततः उच्चतम

न्यायालय ने उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश को सही ठहराते हुए अपने आदेश निर्गत कर दिए।

यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि फैसले के पूर्व जून 2011 को दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कॉलेजों के निर्देश जारी किए कि अगले आदेश तक ओबीसी की सीटें सामान्य वर्ग को हस्तांतरित न किए जाएं।

एक बड़ा फैसला 2011 का जिसे हमें स्वागत करना चाहिए। और हम स्वागत करते भी हैं। लेकिन स्वागत के साथ -साथ एक कड़वी सच्चाई हम कहना चाहेगें कि ओबीसी का बहुसंख्यक अभी भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, और यदि अनभिज्ञ नहीं है तो स्थितियों का मूक दर्शक है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासनिक तंत्र क्या ओबीसी के अधिकारों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर उसका अहित नहीं कर रहा था। राष्ट्र की संपदा और सुविधाओं के उपभोग का अधिकार सुनिश्चित करने का दायित्व जिनके हाथों में है, उनके निर्णयों, उनकी सोच और उनके क्रियाकलापों को देखते हुए भी नजर अंदाज करना कोई ओबीसी जमात से सीखे। परिणामतः हमारी तमाम सुविधाओं को जिन्हें हमें प्राप्त होने चाहिए थे, वे नहीं हुए और उन्हें आंदोलनों के जारिए प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

एक अनुत्तरित प्रश्न देश के सभी प्रशासनिक ओहदों पर बैठे नौकरशाहों एवं देश के सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से है कि समानता, न्याय, सामाजिक एकरुपता और भाई चारे पर संसार की सारी दलीलें देने के वावजूद क्यों नहीं सामाजिक एकरुपता दिखती है। असमानता को किसी स्केल से नहीं नापा जा सकता। बावजूद इसके लोगों के बीच की असमानता को हम सभी खुली आंखों से सदैव ही नापते रहते हैं।

आर्थिक समानता की बात एक दिवास्वप्न की तरह है जो शायद ही मूर्त हो सके। छोटी नौकरियों या काम के अवसर सामने आते ही उसके बंटवारे में होने वाले तमाम दांवपेंच और हथकण्डों का प्रयोग होते हम सभी इसी समाज में देखते हैं। यदि 21 वीं सदी में हमें इन दांवपेंचों और हथकण्डों में खुलकर वर्गभेद, जातिभेद, परिवारवाद या अन्य पक्षपातपूर्ण कोने दिखतें हैं तब हम क्यों नहीं उम्मीद करें कि 21वीं क्या 121वीं सदी में भी यही हालात हमारे सामने होंगे। यह कहना कुछ लोगों को अप्रिय लग सकता है किंतु हम आह्वान करतें हैं अपने विवकेशील साथियों से कि विचार करें कि आज हैलोजन और न्योन लाईटों से जगमगाती दुनिया, तमाम उपभोग की वस्तुओं से अटे पड़े बाजार, विज्ञान और तकनीक की देन है। मनुष्य इसवे भरपूर उपभोग के लिए आतुर है। इसी आतुरता में वह आंखें मूंदकर अधिक से अधिक पैसे इकट्ठा करना चाहता है। धीरे -धीरे वह एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां वह यह सोचकर घबराता है कि उसकी जरा सी चूक उसे धड़ाम से नीचे गिरा सकती है। लिहाजा वह अपने बचे खाली वक्त में पुनः उस स्तम्भ की तलाश में जुट जाता है जहां से उसे सहारे या अवलम्बन की उम्मीद होती है। अपनी दुनिया में और आगे निकलने की कामना करता है। यहीं से शुरु होती है ईश्वरीय आलोक की तलाश, यज्ञों, अनुष्ठानों का आयोजन, मंदिरों के बाहर लटकने वाले हजारों छोटी बड़ी घंटियों का बांधना आदि। तमाम तकनीकि और वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद हमने देखा और पाया है कि 20वीं और 21वीं सदी में होने वाले पूजा अनुष्ठानों में फर्क आया है और जलसे होने लगे हैं।

ऐसे में सामाजिक न्याय जैसे शब्द और अवधारणओं का हश्र समुद्र में तैरने वाले उस बहुत बड़े जहाज की तरह ही है। जिसके पास न तो पर्याप्त इंधन है, न अधिक क्षमता वाला इंजन है और न ही सहयोग के लिए उठे हजारों हाथ हैं। मजबूरन किसी तरह पार पहुंचने की जद्दोजहद में परेशान है। हम अपने दलित और पिछड़े भाईयों से आग्रह करते हैं कि ऐसी किसी भी परम्परा का पोषण न करें जिनसे नस्लवाद या जातिवाद जैसे अमानवीय घृणित विभाजन मनुष्यों को बांटने का कार्य करती है।

हमारे एक कथाकार अग्रज हैं जयनंदन। करीबन 20 साल पहले किसी साहित्यिक रचना के सिलसिले में कहा था कि वे एक ऐसा स्वप्न देखते हैं जहां एक विशाल गांव है और हजारों लोग बिना किसी धर्म के बिना किसी जाति के सुख पूर्वक रहते हैं। आखिर ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं। हालांकि डा0 अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन के घनीभूत अनुभवों के बाद कहा था कि मनुष्य बिना धर्म के नहीं रह सकता। लेकिन धर्म यदि आवश्यक है तो हमें यह भी तय करना होगा कि मानव मूल्यों की रक्षा करने में वह कौन सा धर्म है जो सबके लिए हितकारी है। क्यों हम जन्म से अछूत हों या जन्म से ही सर्वोपरी हों।

दिल्ली विश्वविद्यलाय में ओबीसी छात्रों के दाखिले में आरक्षण को सही दिशा में लागू कराने, उच्च न्यायालय में इस विवाद पर सुनवाई होने एवं अंतिम फैसला आने तक जो परिश्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक श्री हनी बाबू एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने किया। वॉइस ऑफ ओबीसी की तरफ से हम उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

18/11/2011

blog: signpost2.blogspot.com
email : aiobc.up@gmail.com

सिविल सेवा परीक्षा 2010 के सफल ओबीसी प्रतिभागियों

के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह

दिनांक 07 अगस्त 2011, होटल क्लार्क, वाराणसी

आयोजित

राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ, उ0 प्र0

एवं निम्न प्रतिष्ठानों में अन्य पिछड़े वर्गों के संगठन एवं अन्य

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ● काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, ● आयकर विभाग ● बैंक ऑफ बड़ौदा ● आशोका मिशन एजुकेशनल सोसायटी ● रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ● भारतीय रेल

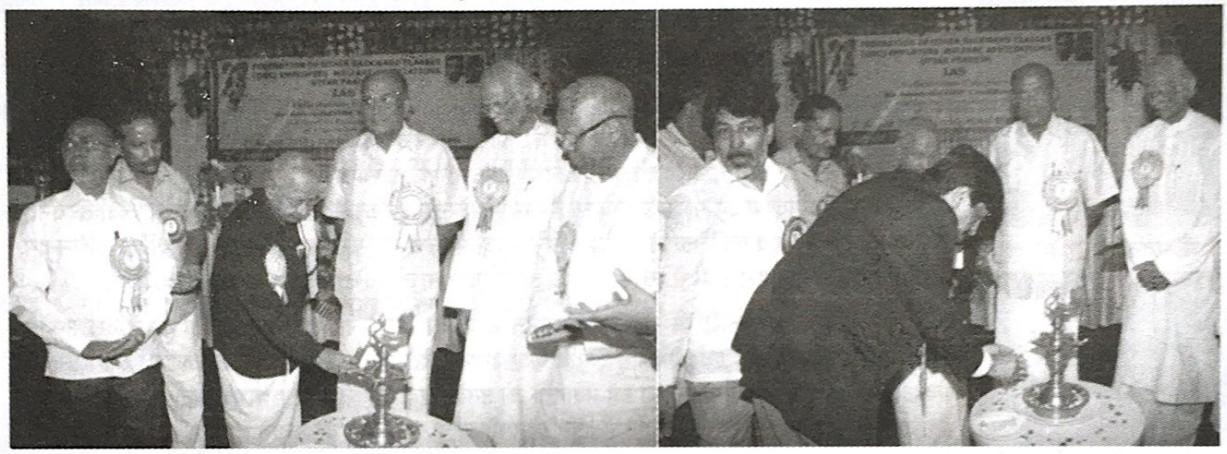

अभिनदन समारोह का दीप जलाकर आरम्भ करते प्रख्यात समाजविद् डा0 के. वीरामणी एवं यूनियन बैंक के महाप्रबंधक श्री पवन कुमार बंसल

प्रो. एस. एस. कुशवाहा

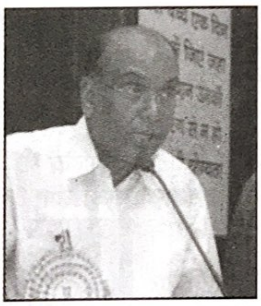

श्री एस. के. खारवेन्थन

अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की संबंधित राज्य ईकाई, राज्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में दिनांक 7 अगस्त 2011 को सिविल सेवा परीक्षा 2010 में चयनित हुए बिहार एवं उत्तर प्रदेश के ओ.बी.सी. अभ्यार्थियों के सम्मान में वाराणसी के होटल क्लार्क्स में अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया। वर्ष 2010 के पश्चात संगठन द्वारा दूसरी बार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम को 7 अगस्त को किए जाने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण रहा है। 7 अगस्त के दिन ही सन् 1990 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व0 विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की थी। इस लिए भी संगठन ने 7 अगस्त को सामाजिक न्याय दिवस के रुप में स्थापित करने के संदर्भ में आयोजित किया।

समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट विभूतियों ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। जिनमें प्रमुखतः प्रख्यात समाजविद एवं पेरियारवादी चिन्तक मनीषी डा0 के. वीरामणि (चेन्नई), पूर्व कुलपति, काशी विद्यापीठ एवं राँची विश्वविद्यालय प्रो0 एस0 एस0 कुशवाहा (वाराणसी), मनींअम्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 आर0 रामाचन्द्रन (चन्नई) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं बार काउन्सिल ऑफ

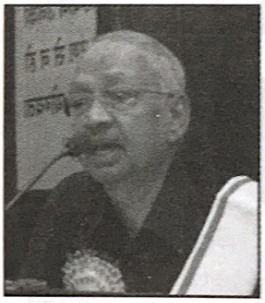

श्री के. वीरामणि

श्री रविन्द्र कुमार IAS

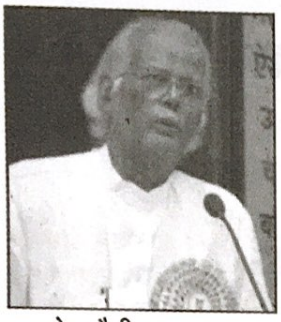

प्रो. चौथी राम यादव

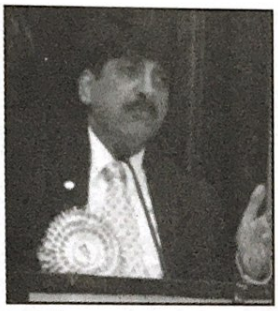

श्री पवन कुमार बंसल

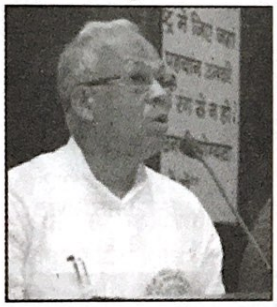

डॉ. बाबू राम निषाद

डा. आर. रामचन्द्रन

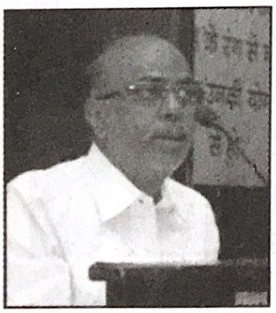

श्री जी. करुणानिधि

इण्डिया के पूर्व चेयर मैन श्री एस0 के0 खारवेन्थन (दिल्ली), जिलाअधिकारी वाराणसी श्री रवीन्द्र, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के महा प्रबन्धक श्री पवन कुमार बंसल (लखनऊ), प्रख्यात लेखक एवं समालोचक प्रो0 चौथी राम यादव (वाराणसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के भूत पूर्व चेयरमैन डा0 बाबू राम निषाद (वाराणसी) एवं आल इण्डिया फेडरेसन के महासचिव श्री जी0 करुणानिधि उपस्थित हुए।

समारोह के आरम्भ में यूनियन बैंक ओ0 बी0 सी0 इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएसन के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र राम ने अतिथियों एवं चयनित अभ्यर्थियों का स्वागत किया। राज्य महासंघ के महामंत्री श्री अमृतांशु ने संगठन की गतिविधियों एवं विगत दो वर्षों के क्रिया कलापों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया राज्य महासंघ के अध्यक्ष प्रो0 एस. एस. कुशवाहा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन के साथ समारोह का औपचारीक आरम्भ किया एवं इस कार्यक्रम के निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात् **Why Comunal resevation** नामक पुस्तक जो कि पेरियार ई0 वी0 रामासामी द्वारा 12-8-1950 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उस समय तक लागू **G.O. on Comunal reservation** को निरस्त करने के आदेश के खिलाफ उनके तमिल में दिए गए भाषण का अग्रेंजी रुपॉतरण हैं, का विमोचन प्रो0 चौथी राम यादव द्वारा किया गया ।

डा0 के0 वीरामणि ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा कि आज से 63 साल पहले सन् 1958 में वाराणसी की धरती का भ्रमण प्रख्यात आन्दोलनकारी एवं युग पुरुष ई0 वी0 रामासामी पेरियार के साथ किया था। मनुष्य के जीवन को तार्किक ठंग से जीने के लिए प्रेरित करने वाले डा0 के0 वीरामनी ने यह कहकर खुशी का इजहार किया कि धार्मिक विश्वासों की नगरी वाराणसी में सामाजिक न्याय के आर्दशों के अनुरुप तर्क पूर्ण तरीके से नये सामाजिक स्वरुप की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होने विस्तार से भारतीय हिन्दू समाज में सामाजिक संरचना, असमानता एवं भेदभाव का जिक्र किया। प्रसासनिक पदों पर चयनित प्रतिभाशाली छात्रों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए डा0 वीरामणि ने सभी से स्वस्थ्य समाज की परिकल्पना को स्वीकार करने का आहवाहन किया।

युवा जिलाधिकारी श्री रविन्द्र ने चयनित छात्रों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने आरक्षण की आवश्यकता एवं उसकी पृष्ठभूमि पर उदाहरण देते हुए गम्भीरतापूर्वक वर्गीकरण किया। उन्होंने प्रशासनिक दायित्वों को संभालने जा रहे नवागतों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाऐं दी एवं कहा कि प्रभावशाली पदों के कुछ खतरे भी होते हैं जिनके सम्मोहन से हमें अपने को बचाते हुए एक मजबूत समाज का निर्माण करना है।

प्रो0 चौथी राम यादव ने ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता एवं व्यापकता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुचाना चाहिए।

डा0 बाबू राम निषाद ने इस अवसर पर पिछले वर्ष में चयनित अपनी बेटी का संदर्भ रखते हुए कहा कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के साथ-साथ उन अधिकारों को पाने के लिए उपलब्ध अवसरों के अनुरुप स्वयं को शिक्षित बना कर तैयार रखें।

श्री पवन कुमार बंसल ने चयनित छात्रों का अभिनन्दन करते हुए कहा कि वर्तमान समय स्पर्धा का समय है। परन्तु हम इन्हीं वर्तमान परिस्थितियों में से सुन्दर समाज की परिकल्पना करते हैं जिसे हम सब मिलकर पूरा करेगें।

श्री एस. के. खारवेन्थन ने इस अवसर पर अन्य पिछड़े वर्गो को हितों के लिए कार्यरत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होने क्रीमी लेयर पर विश्वास दिलाया कि आयोग केन्द्र सरकार के समक्ष दूसरी सीमा बढाने के लिए सिफरिश कर रहा है।

श्री जी करुणानिधि ने सबसे पहले कार्यक्रम के आयोजन पर संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यक्रताओं को बधाई दी। उन्होने बताया कि सन् 2007 में अभिनन्दन का पहला कार्यक्रम चेन्नई से शुरु किया गया था। जो इस वर्ष चेन्नई सहित वाराणसी, हैदराबाद, दिल्ली में आयोजित किए गए।

समारोह का अपनी विशिष्ट शैली में संचालन करते हुए वॉइस आफ ओबीसी के सम्पादक श्री अशोकानन्द ने पूरे कार्यक्रम को एक लय प्रदान किया। सचिव श्री अशोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

डॉ. हेमन्त कुमार
कोषाध्यक्ष - स्टेट फेडरेशन
मो.: 9453359701

सामाजिक न्याय आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1871 मद्रास की जनगणना में ये तथ्य सामने आए कि गैर ब्राम्हण हिन्दू और मुसलमान राजनैतिक पटल से हटा दिए गए थे।

1881 सामाजिक रुप से पिछड़ों के लिए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया।

1882 इस वर्ष शिक्षा को पिछड़ेपन का आधार बनाया गया।

1883 भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि व्यावहारिक रुप से सामान्य लोगों की शिक्षा की असुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

1885 मद्रास में शिक्षा के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता की शुरुआत की गई।

1893 मद्रास सरकार ने 49 विभिन्न जातियों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधा प्रदान की।

1902 जुलाई 26 को छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने राज्य में गैर ब्राम्हणों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की।

1918 पिछड़े वर्गों पर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की।

1920 साहू जी महाराज ने अपने राज्य में आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया।

1927 मद्रास में सरकारी नौकरियों में जाति को भर्ती प्रक्रिया में मूल आधार बनाया गया। जिसके अंतर्गत 12 रिक्तियों में 2 ब्राम्हण, 5 गैर ब्राम्हण हिन्दु, 2 मुस्लिम, 2 एंग्लो इंडियन एवं 1 एससी की नियुक्ति की गई।

1928 मुम्बई सरकार द्वारा बनाए गए आयोग ने निम्नलिखित वग्रीकरण किए।

1 शोषित वर्ग (Depressed Classes) 2 मूल एवं पहाड़ी जनजातियां (Original and Hill Tribes) 3 अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes)

1931 डा0 भीम राव अंबेडकर की मांग पर शोषित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। परंतु 24 सितम्बर 1932 को इसके खिलाफ आमरण अनशन आरम्भ किया जिसके उपरांत हिन्दू नेताओं एवं दलितों के बीच समझौता हुआ जिसे इतिहास पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।

1943 डा0 भीम राव अंबेडकर द्वारा वायसराय को ज्ञापन दिए जाने के बाद अनुसूचित जातियों को 8.33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई।

1944 शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृति की धोषणा की।

1946 अनुसूचित जातियों का आरक्षण 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.33 प्रतिशत कर दिया गया।

1946-48 अनुसूचित जातियों का आरक्षण 16.66 प्रतिशत कर दिया गया।

1949 नवम्बर 26, भारत सरकार ने संविधान स्वीकार किया। जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण के सिद्धांत थे। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का निर्देश पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लागू करने के लिए दिए गए।

1950 भारतीय संविधान में पहला संशोधन अनुच्छेद 340 में हुआ। जिससे ओबीसी को आरक्षण का अधिकार मिला।

1951 नवम्बर 27, को डा0 भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरु मंत्रीमंडल से त्यागपत्र दे दिया। जिसके कई कारणों में से एक अनुच्छेद 340 पर कार्य करने में अत्यधिक विलम्ब होना भी था।

1953 जनवरी 29, भारत सरकार ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। कालेलकर आयोग ने 2399 जातियों का चयन पिछड़ी जातियों के रुप में किया।

1955 मार्च 30, आयोग के अध्यक्ष श्री काका कालेलकर ने भारत सरकार को एक पृथक पत्र लिखकर काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को न मानने के लिए आग्रह किया। इनका मानना था कि आरक्षण समाज के हित में नहीं है। परिणामतः भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः खारिज कर दिया।

1979 प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने जनता पार्टी के शासन में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य श्री वी0 पी0 मंडल की अध्यक्षता में किया। मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्गो के अंतर्गत चिन्हित किया। इनकी संख्या समाज में 52 प्रतिशत आंकी गई और सरकार से नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की ।

NCBC Clarification on Creamy

3142P

Tel: 2618-9210; Fax.: 2618-3227

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
Government of India
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

त्रिकूट-1, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066
Trikoot-1, Bhikaiji Cama Place,
New Delhi-110 066

04.02.2011

No.NCBC/7/24/2009-RW

To

Shri Alok Kumar Sarkar
General Secretary
All Inida Reserve Bank Other Backward
Classes Employees' Welfare Association
Head Office : 15, N. S. Road, Kolkata-700 001

Subject : Eligibility for availing the benefit of O.B.C. Researvation : regarding

Sir,

I am directed to refer to your letter No. AKS/RBI/252 dated 8th January, 2011 on the above mentioned subject and to say that the above matter was considered in the Commission's meeting held on 31st January & 1st February, 2011 and it was decided as under:-

"Several doubts are being received and several requests are coming to the NCBC seeking clarification as to the method of calculating the annual income of employees working in Public Sector Undertakings/Banks, etc., for the purpose of deciding the creamy layer restriction. The Government of India after examining all the relevant aspects have issued a clarification in D. O. No. 20011/1/2001-BCC dated 26-04-2002, a copy of which is enclosed.

In view of the above, the income from salaries and agricultural land should not be taken into account for the purpose of calculation of the annual income for deciding the creamy layer restriction"

Yours faithfully,

(V. Chandra Sekhar)
Research Officer

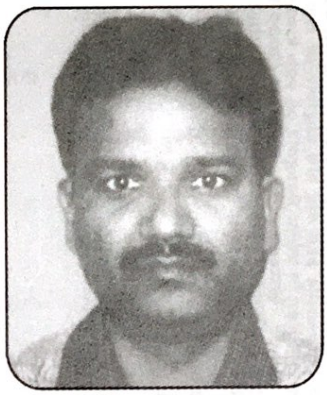

भाई शिवराज राजभर अमर रहें...

इं0 शिवराज राजभर
(13.08.1960 - 19.06.2011)

इं0 शिवराज राजभर हमारे बीच नहीं रहे। विगत दिनों उनका देहावसान हो गया। शिवराज जी आरम्भ से ही जुझारु, कर्मठ एवं सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित सिपाही रहे। उनका जन्म 13.08.1960 को गाजीपुर जिले के उंचौरी गांव में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। करीब 28 वर्षो तक उन्होंने पीडब्ल्यूडी में अवर अभियंता के रुप में कार्य किया। उनके परिवार में दो पुत्र, एक पुत्री, पत्नी एवं पिता हैं। वर्तमान में उनका अपना निर्मित घर ओमनगर कॉलोनी, लेन न0 3, पहड़िया, वाराणसी में है।

नगर की सामाजिक संस्था **सम्यक समाज** के वे संस्थापक सदस्यों में थे। **सम्यक समाज** के सचिव पद पर रहते हुए इन्होंने संस्था के कार्यो में महत्वपूर्ण योगदान करते रहे। उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के सफल ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में भी इनका अविस्मरणीय योगदान रहा।

INCOME FROM SALARIES SHOULD NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT FOR THE PURPOSE OF 'CREAMY LAYER'

Secretariat,
Chennai - 9

BACKWARD CLASSES, MOST BACKWARD CLASSES AND MINORITIES

WELFARE DEPARTMENT

Letter No.4938/BCC/2011-1, dt.20.07.2011

From
Thiru G. Santhanam.IAS.,
Secretary to Government.

To
All District Collectors. (w.e)

Sir,

Sub : Reservation – Reservation for Other Backward Classes in Civil posts and services under the Government of India – Exclusion of creamy layer from the benefit of Other Backward Classes reservation – clarifications issued – Reiterated.

Ref :
1. G.O. Ms. No. 12, Backward Classes and Most Backward Classes Welfare Department, dated 28.3.1994.
2. Government Letter No. 627/BCC/97-33, Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare Department, dated 24.4.2000.
3. Government Letter No. 10829/BCC/2004-2, Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare Department, dated 10.11.2004.
4. From the General Secretary, All India Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association, representation dated 23.06.2011 addressed to the Chairman, National Commission for Backward Classes.

I am directed to invite attention to the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions O.M. No. 36012/22/93- Estt(SCT) dated 08.09.1993 communicated in the Government Order 1st cited wherein the Government of India have informed that sons and daughters of the persons falling under the following categories will be considered as creamy layer by virtue of the posts held by their parents subject to certain exemptions specified therein :-

a) Holding Constitutional posts.

b) Parents, both of whom are directly recruited class I / Group A Officers.

c) Parents, either of whom is directly recruited class I / Group A officer.

d) parents, both of whom are directly recruited class I / Group A officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation.

e) parents, either of whom is a directly recruited class I / Group A officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International organization like UN, IMF, World Bank etc., for a period of not less than 5 years.

f) parents, both of whom are directly recruited class I / Group A officer and both of them die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both either of them has had the benefit of employment in any International Organization like UN, IMF, World Bank etc., for a period of not less than 5 years.

g) parents, both of whom are directly recruited class II / Group B officers of central and State Services.

h) parents of whom only the husband is a directly recruited class II / Group B officer and he gets into class I / Group A at the age of 40 or earlier.

i) parents, both of them are directly recruited class II / Group B officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either of them has had the benefit of employment in any International Organization like UN, IMF, World Bank etc., for a period of not less than 5 years.

j) parents of whom the husband is a Class I / Group A officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a directly recruited class II / Group B Officer and the wife dies or suffer permanent incapacitation.

k) parents of whom wife is a Class I / Group A officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the husband is a directly recruited class II / Group B officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation.

The Government of India have also informed that the creamy layer status in respect of others will be determined by applying the "Income / Wealth Test" specified against category VI of the Schedule contained therein. The Government of India have clarified by means of an explanation provided under category VI that income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

....2....

2) In this connection, I wish to draw your attention to the reference 2nd cited wherein the Government have informed while issuing Other Backward Classes Certificates, the income from salaries should not be taken into account for the purpose of calculation of annual income for exclusion of creamy layer. Similarly, the agricultural income also should not be included for the above purpose

3) In the instructions issued by Government of India, Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions in their Letter No. 36033/5/2004-Estt(Res) dated 14.10.2004 which was communicated in the reference 3rd cited, it has been clarified, among other things, that while applying the Income / Wealth Test to determind creamy layer status of any candidate as given in Category IV of the Schedule to the O.M. dated 08.09.1993, income from salaries and income from the agricultural land shall not be taken into account. Copies of reference 2nd and 3rd cited are enclosed herewith for information.

4) It has been brought to the notice of the Government that despite the clear instructions issued in respect of exclusion of creamy layer, there has been difficulty in obtaining Other Backward Classes Certificates from the authorities concerned on the ground that the annual salary of their parents exceeds Rs. 4,50,000 and Other Backward Classes Certificates were denied to their sons and daughters. It has also been informed to Government that in view of the attitude of the officials,. many eligible Other Backward Classes candidates are not able to avail the reservation benefit intended to them in Central Services and Educational institutions under the control of Government of India.

5) In this connection, I wish to inform you that the Government reiterate the instructions already issued in respect of calculating the Annual Income for exclusion of Creamy layer in their orders 1st and 2nd cited. I am therefore to request you to issue suitable guidelines to the Tahsildars, who are the Other Backward Classes Certificate issuing authorities to issue Other Backward Classes Certificates to the eligible persons without taking into account of income from salaries and income from agriculture land and to avoid any complaints in the matter.

Yours faithfully,

P.H [signature]

for Secretary to Government .

To
The Member Secretary,
National Commission for Backward Classes,
Trikoot – I, Bhikaji Cama Place,
New Delhi. 110066.

The Director of Backward Classes Welfare, Chennai -5.
The Commissioner of Most Backward Classes
and Denotified Communities, Chennai – 5.
The Commissioner of Minorities Welfare, Chennai – 5.
The Principal Commissioner & Commissioner of
Revenue Administration, Chennai – 5.

....3.... ....

Copy to :

Thiru. G. Karunanidhy,
General Secretary,
All India Federation of Other Backward Classes
Employee's Welfare Association,
No. 139, Broadway, Chennai 108.

BY SPEED POST/RTI MATTER

No.11/ 3 /2009-EO (PR)(Pt.)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Personnel & Training
(Office of the Establishment Officer)

.....

North Block, New Delhi, the 5th May, 2009.

6 MAY 2009

To

Shri Rajesh Yadav,
PA to Ram Awadhesh Singh (Ex M.P. L.S.) and
Member of National Commission for Backward Classes,
Govt. of India,
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi-110066.

Subject: - Application for seeking information under the Right to Information Act –2005.

-.-.-.-.-

Sir,

Kindly refer to letter dated 28.4.2009, sent by Shri Jai Prakash, US (SM.III) & CPIO to you (copy enclosed) wherein it has been informed that the OBC status of officers who joined through CSE 1993 and earlier is not maintained in the Department and no officer who has availed of benefit of reservation for OBCs has so far been appointed as Secretary to the Govt. of India after coming into force of provision for reservation for OBCs. Since the data relating to OBC is not available in the Department, it is not possible to give information on the ACR gradings of the officers belonging to OBC category.

2. The ACR gradings in respect of officers at the level of Joint Secretary (including those belonging to OBC) post 1993 will be sent as soon as the same is received from SM Division of this Department.

Yours faithfully

(Deepak Israni)
Under Secretary (ACC)/CPIO

Encl: As above.

Copy to: Shri Jai Prakash, Under Secretary (SM.III) & CPIO, DOP&T, North Block, New Delhi. It is requested to intimate us the details of officers (including those belonging to OBC category) at the level of Joint Secretary in Govt. of India from 1993 onwards to enable us to provide the information relating to ACR grading to the applicant.

No. 804/110/2010-BC-III
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001

Dated the 15th March 2011

To

Shri R.K. Verma,
General Secretary,
Welfare Society of Other Backward Classes (WSO)
645 A/421 A, Janki Vihar, Janki Puram,
Lucknow (UP) - 226021

Subject : Complaint against "Armaano Ka Balidaan – Aarakshan" programme telecast on Imagine TV channel.

Sir,

This is with reference to your letter dated 9.12.2010 addressed to U.P. State Other Backward Classes Commission, Lucknow and forwarded to this Ministry by Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No.20012/104/2008-BC-II (Part) dated 9.2.2011 on the above-mentioned subject.

2. The matter has been considered in this Ministry. An Advisory has been issued on 23.2.2011 to the channel advising them to strictly adhere to the Programme and Advertising Codes prescribed under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and rules framed thereunder.

3. The channel has also changed name of the programme from "Armanon Kaa Balidaan – Aarakshan" to "Armanon Kaa Balidaan" with effect from 1st February, 2011.

Yours faithfully.

(AMAR NATH SINGH)
UNDER SECRETARY (BC-II)
Tele # 23074166

Copy to: Shri Ram Chander, Under Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, Jeevan Prakash Building, New Delhi w.r.t. Om No.20012/104/2008-BC.2 (Part) dated 9.2.2011.

वेलफेयर सोसायटी ऑफ ओबीसी द्वारा इमैजिन टीवी चैनल पर **अरमानों का बलिदान : आरक्षण** शीर्षक सीरियल के निर्माण में आरक्षण जैसे अति संवेदनशील विषय को भिन्न रुप में प्रसारित करने के विरोध में संगठन के महासचिव इं0 श्री आर0 के0 वर्मा ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा। फिल्म गोलमान-1 में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त करते हुए श्री वर्मा ने पुनः आयोग को पत्र लिखा। हम यहां पाठकों की जानकारी के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

-संपादक

विचार करने से डरो मत, मार्ग मिल जायेगा

अशोक आनन्द

किसी दार्शनिक ने खूब कहा है कि अपना लाभ समझकर वह सब कुछ कर डालता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। वह लाभ के लिए कुछ भी करने से डरता नहीं। बस डरता है तो सोचने से, भागता है तो बस विचार करने से। विचार करना जहमत भरा कार्य है। विचार करने का अर्थ है जो भी वस्तु या तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत हों, उन्हें जानने व समझने का कार्य करना। यह कार्य करने हेतु आपको प्रश्न करना होगा स्वयं से और अन्य से भी। जीवन कोई सरल व सहज कार्य है ही नहीं। इसके अर्थ व उद्देश्य को समझने के लिए आपको जहमत उठानी ही होगी। अन्यथा एक परंपरागत मार्ग आपके लिए उपलब्ध तो है ही कि प्रचण्ड धारा में तिनके की तरह बहते जाइये और अगर डूबने से बचकर किसी घाट लग ही गये तो उसे "नियति" मानकर सिर माथे चढ़ाइये।

परंपरा के अनुगामी जीवन को अदृश्य शक्ति को समर्पित करके सहजता से जीने का प्रयास करते हैं लेकिन इसी कथित सहज जीवन यात्रा ने उसके जीवन को बिल्कुल दुख संतप्त व असहज बना दिया है। मनुष्य अपने स्व-अर्जित दुखों को अपनी नियति समझता व उसके निदान के लिए प्रायः गलत चिकित्सक (काल्पनिक शक्ति) की शरण जाता रहा है। लेकिन दुख नियति बनकर उपस्थित है और सारे निदान वाले चिकित्सक बिल्कुल असफल। आदमी हजारों साल से अपने को सिर्फ व सिर्फ झुठला रहा है, फुसला रहा है।

उर्दू के एक मशहूर शायर कैफी आज़मी ने एक बहुत अच्छा व्यंग किया है-

दूर तलक रेत ही रेत, न कोई साया न कोई सराब,
कितने अरमां छुपे हैं सेहरा में, कौन रखता है मजारों का हिसाब,
नब्ज़ बुझती भी है, फड़कती भी, दिल का मामूल है खबड़ाना भी,
रात में अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जीये जाना भी।

परम पूज्य बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में अपने लाखों अनुयायियों के मुरझाये चेहरों को देखकर कहा था कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मनुष्य की तरह नहीं जी पा रहे हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मनुष्य की तरह जीना सीखो, मानव के अधिकार हासिल कर लो वर्ना पृथ्वी का भार ही हल्का करो। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी छः वर्ष की अवस्था में शाक्यों की कुल देवी को पत्थर से निर्मित कहकर उसकी वन्दना करने से मना कर दिया था। राजकुमार ने प्रश्न कर दिया कि मंदिर के बाहर पत्थर से निर्मित सिंह अगर हानि नहीं कर सकता तो मंदिर के अन्दर पत्थर से निर्मित देवी आशीष कैसे दे सकती है।

हमारी केन्द्रीय चिन्ता यह है कि ऐसे प्रश्न हमारे मन में क्यों नहीं उठते। अगर यह प्रश्न हमारे मन में उठते, हमने उन प्रश्नों से जूझने का साहस दिखाया होता तो हमारी, समाज की व देश की दशा कुछ और होती। हमने सोचने व जानने की बजाय परंपरा ढोने व मानने की प्रवृत्ति को तरजीह दिया और हम पूर्ववत् दुखों से अभिशप्त हैं। विचार व चिंतन की चर्चा करें तो इतिहास साक्षी है कि मानवीय सभ्यता के प्रारंभ से ही जीवन व प्रकृति के रहस्य को समझने हेतु चिंतन होता रहा है जिसे हम दर्शन कहते हैं। ईसा पूर्व 700 से लेकर 400 ईस्वी के कालखण्ड को हम दर्शन शास्त्र के उन्नत काल के रुप में देख सकते है। इसी कालखण्ड में हिन्दुस्तान में उपनिषद से लेकर बुद्ध तक के और यूरोप में थेलस से लेकर अरस्तू तक के दर्शनों का निर्माण होता है, लेकिन चिंतन की यह धारा जब धर्मों के आवरण में मनुष्य के सामने प्रस्तुत हुई तो यह सहज मानव के शोषण व उसे अंधकार में ढकेलने वाली विधा के रुप में ही आई क्योंकि दर्शन भले ही विज्ञान व कला से असम्बद्ध रहा हो लेकिन वह सदा से धर्म का लग्गू-भग्गू रहा है। परिणामतः धर्मशास्त्रों ने मनुष्य के चिंतन पर वे पाबंदियां लगायी कि धर्माश्रित मनुष्य बौद्धिक रुप से बिल्कुल बौना हो गया। धर्मों ने ईश्वरीय शास्त्रों (पुस्तकों) के जरिये मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन हेतु कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। शास्त्रों की व्यवस्थाओं व मीमांसा को तो चिंतन की श्रेणी में कतई नहीं रखा जा सकता।

जब भी स्वतंत्र चिंतन की चर्चा होगी तो संपूर्ण मानवीय इतिहास में भगवान बुद्ध ही वह प्रथम और विरले व्यक्ति होंगे जिन्होंने मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन हेतु एक वृहद मुक्ताकाश प्रदान किया। बुद्ध ने तर्क की परिपाटी चलायी, मानने नहीं जानने की बात की और अपने कथनों की प्रामाणिकता के लिए किसी भी काल्पनिक या अभौतिक शक्ति का अवलम्बन नहीं लिया। मनुष्य के बुद्धि व विवेक को इतना सम्मान देने वाले तथा अपने कथनों को तर्क की कसौटी पर परख कर मानने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्रता देने वाले बुद्ध के इस साहस का मानवीय इतिहास में कोई सानी हो ही नहीं सकता है। मगर मिथ्यावाद के प्रचारकों ने हमेशा धर्म पर मनुष्य की बलि की व्यवस्था को सुदृढ़ किया और धर्म अपनी निर्मम बलिवेदी पर अन्य जीवों के साथ मानव की बलि भी देता रहा। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने ठीक ही कहा था कि धर्म की गुलामी से बदतर गुलामी और क्या हो सकती है।

हिन्दुस्तान ने आज के लगभग 64 वर्ष पूर्व राजनैतिक आजादी हासिल किया और उसका जश्न मन्नाता चला आ रहा है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए इन 64 वर्षों में कभी भी सार्थक प्रयास नहीं किये गये। संविधान के नीति निर्देशों के विपरीत आज भी हिन्दुस्तान सामाजिक न्याय से बहुत दूर है। वर्ण व्यवस्था और जाति-पाति से जकड़े इस समाज में धर्मजनित व्यवस्था से पछाड़ा गया समाज नित-नित इसके दंश झेलता चला आ रहा है। इस सामाजिक आजादी व आर्थिक न्याय के लिए इस देश को पुनः एक बुद्ध की, एक अशोक की जरुरत है। बुद्ध और अशोक महान के पुनर्आह्वान से काम नहीं चलेगा बल्कि समता, करुणा व मैत्री का समाज रचने के लिए हमें स्वयं बुद्ध एवं अशोक महान की भूमिका में आना होगा, हम आ सकते हैं उस भूमिका में। बुद्ध ने स्वयं प्रत्येक मनुष्य को बुद्धांकुर बताया था और कहा था कि बुद्ध बनने के लिए बुद्धांकुर को यत्न करना होगा। हमने यत्न ही नहीं शुरु किया। अगर हम यत्न करें तो बुद्ध व अशोक की भूमिका निभाते हुए समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व वाले समाज की संरचना में योगदान दे सकते हैं।

सामाजिक विभेद, घृणा व द्वेष से जलते हुए किसी घर में अवस्थित रहना कौन सी बुद्धिमानी है? जलते हुए घर से बाहर आने का मार्ग ढूंढना होगा व आग बुझानी होगी। यत्न करें, चिंतन करें तो मार्ग मिल ही जायेगा। अन्त में यशकायी रामदास अकेला की इन पंक्तियों को रखना चाहूंगा कि....

मर गया था बाप रोटी की तलब में कल अभी,
आज छप्पन भोग उसके श्राद्ध में कैसे खिलायें।
फंस गया है आदमी इस अस्था के जाल में,
आओ इस अंधे कुएं से हम अकेला को बचायें।

इस अपेक्षा के साथ कि हम सोचेंगे, बुद्ध व अशोक महान के सपनों का समाज रचेंगे और यश के भागी बनेंगे।

राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह 5 अगस्त 2011 को नई दिल्ली में आयोजित

सम्मान सहारोह का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री वी0 नारायणसामी द्वारा किया गया। सभा में मुख्य रुप से माननीय सासंद श्री वी0 हनुमत राव, अली अनवर, टी.के. एस. एलानगोवन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री एस0 के0 कारवेन्दन फेडरेशन के महासचिव श्री जी. करुणानिधि उपस्थित थे।

जी0 करुणानिधि सम्मानित

ऑल इंडिया फेडरेशन के महासचिव श्री जी0 करुणानिधि को दिनांक 9 जनवरी 2011 को त्रीची, मद्रास में उनके सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पेरियार इंटरनेशनल द्वारा के0 वीरामणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरुप उन्हें एक लाख नकद राशि प्रदान किए गए। यह पुरस्कार सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय तौर पर कार्य करने वाले अब तक आठ लोगों को दिए गए। ये हैं श्री

वी.पी. सिंह (पूर्व प्रधान मंत्री)
पूर्व केन्द्रीय मंत्री
सीताराम केसरी, चन्द्रजीत यादव
जी.के. मूपनार (कांग्रेस नेता)
मायावती (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश)
न्यायाधीश बी.एस.ए. सामी (आ.प्र. उच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश)
प्रो. रविवर्मा कुमार
(कर्नाटका पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन)
एम. करुणानिधि (तमिलनाडु मुख्यमंत्री)

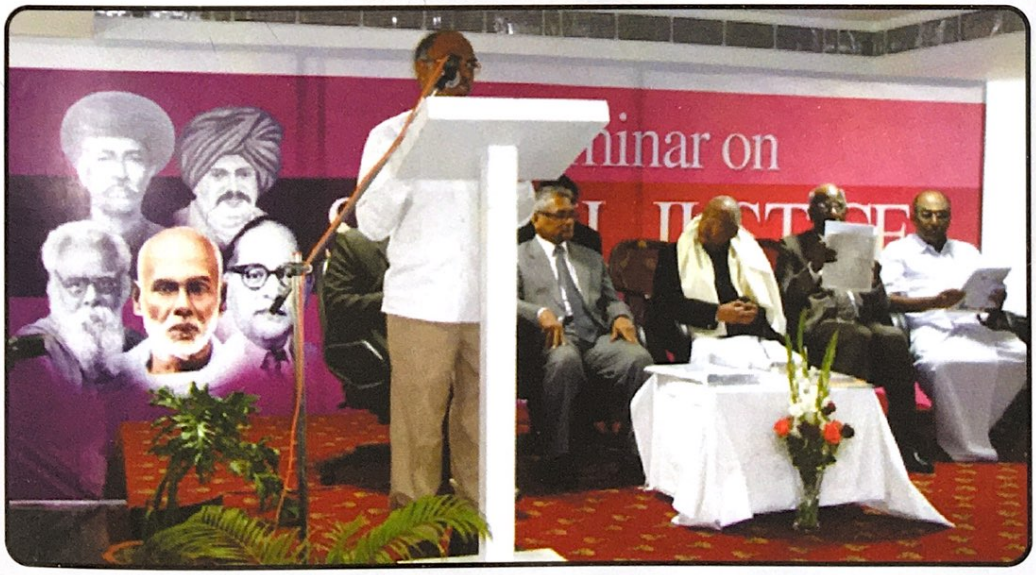

सामाजिक न्याय नेशनल सेमिनार

3 मार्च 2011 को नई दिल्ली में पेरियर सेन्टर में सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन लॉयर्स फोरम ऑफ सोशल जस्टिस, एकेडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस एवं ओबीसी फेडरेशन के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जस्टिस श्री एम0 एन0 राव, सदस्य श्री एस.के. कारवेन्दन, श्री के. वीरामणी, दिलीप मंडल, प्रो. रविवर्मा कुमार प्रदीप डोबले एवं अमृतांशु उपस्थित थे। बाएं श्री करुणानिधि सम्बोधन करते हुए।